

प्रेषक,

एल.फैनई,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक-21 अप्रैल, 2022

विषय:-वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन दरों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गोपन (मंत्रिपरिषद अनुभाग), उत्तराखण्ड शासन के अशा.पत्र संख्या-4/2/xxvi/xxi/2022-सी0एक्स. दिनांक 07 जनवरी, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वृद्धावस्था, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन दरों में ₹100/- प्रतिमाह की दर से वृद्धि करते हुये उक्त योजनान्तर्गत ₹1500/- प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 2- उक्तानुसार दरों में की गई वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
- 3- उक्त वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान तथा दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत बढी हुई दरों में केन्द्रांश भी सम्मिलित है।
- 4- योजनान्तर्गत दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में पूर्व से निर्गत शासनादेश संख्या-727/XVII-2/16-39(विविध)/2002-टीसी दिनांक 27 मई, 2016, शासनादेश संख्या-883/XVII-2/16-01(02)/2010 दिनांक 17 जून, 2016, शासनादेश संख्या-1747/XVII-2/20-19(05) 2019 दिनांक 11 फरवरी, 2020 तथा शासनादेश संख्या-26/XVII-2/22-19(05)2019TC दिनांक 28 मार्च, 2022 व अन्य सम्बन्धित शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा उक्त शासनादेशों के अन्य प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा.प.सं.-28178(म.)/XXVII(3)/2022 दिनांक 07 अप्रैल, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एल.फैनई)  
प्रमुख सचिव।

(2)

पृष्ठांकन संख्या:- 40 / XVII-2 / 22-19(05) 2019 उत्तदिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 2- वरिष्ठ निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा० मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 3- वरिष्ठ निजी सचिव, मा. समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 4- वरिष्ठ निजी सचिव, मा. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री, उत्तराखण्ड को मा. मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 5- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, उत्तराखण्ड।
- 6- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- निजी सचिव, सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- निजी सचिव, सचिव, गोपन, (मंत्रिपरिषद अनुभाग) उत्तराखण्ड शासन।
- 9- निजी सचिव, सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
- 11- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स०क०)
- 12- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स०क०)
- 13- निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
- 14- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 15- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, स०क०)
- 16- वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
- 17- गार्ड फाईल।

11/24/22  
(एल.फैनेई)  
प्रमुख सचिव।